न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 19 / 2016 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती लीलादेवी पत्नी श्री रोशनलाल माली, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री श्री रोशनलाल माली, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. सुश्री तारा पुत्री श्री रोशनलाल माली, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रोशनलाल पिता श्री देवकिशन माली, निवासी सदर बाजार, बेदला, हाल मुकाम मार्फत नवीन सालवी, गुंदिया भेरूजी, सुथारवाड़ा, उदयपुर (राज.)
2. रामचन्द्र पिता श्री देवकिशन माली, निवासी सदर बाजार, बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. कमला शंकर पिता श्री देवकिशन माली, निवासी सदर बाजार, बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती भंवरीबाई बेवा श्री देवकिशन माली, निवासी सदर बाजार, बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 22–06–2016, प्र.सं. 67 / 14

———/———

उपस्थित :– 1– श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 07–01–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही खानदान के होकर आपस में भाई–बन्धु हैं और उसकी मौरूसी जायदाद ग्राम बेदला में स्थित है, जिसके आराजी नंबर 1318 रकबा 0.1700 हैक्टर होकर वर्तमान में सभी विपक्षीगणों के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, परन्तु उक्त मौरूसी भूमि में प्रार्थी संख्या 2 व 3 का जन्म से अधिकार है व प्रार्थी संख्या 1 जब से विवाह हुआ तब से उक्त भूमि पर अपना हक हिस्सा रखती है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष देवकिशन जी के 4 वारिस तीन पुत्र रामचन्द्र, रोशनलाल, कमला शंकर व पत्नी श्रीमती भंवरीबाई हुए। रोशनलाल के वारिस प्रार्थीगण हैं, जिसमें रोशनलाल के 1/4 हिस्सा में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा है और अपने 1/4, 1/4 हिस्से का विभाजन कराने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं। विपक्षी संख्या 1 कर्ता खानदान होने से राजस्व अभिलेखों में उसका नाम अंकित है, परन्तु उसके 1/4 हिस्से पर प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा होने के बावजूद उसके द्वारा कई जमीनों का विक्रय कर दिया गया है तथा अन्य भूमियों का विक्रय करने पर भी आमादा है। अतएवं विपक्षी संख्या 1 को भूमियों का विक्रय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का विपक्षीगण से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी संख्या 1 का विवाह विपक्षी संख्या 1 से 26 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसके नुत्फे से प्रार्थी संख्या 2 व 3 का जन्म हुआ, किन्तु उसके कुछ समय बाद वह प्रार्थी संख्या 1 अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर पीहर चली गयी तथा 22 वर्षो से वहीं निवास कर रही है। इसके बाद पारिवारिक न्यायालय में विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध उसने वाद प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 90/93 थे, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 2 व 3 समेत स्वयं के लिए एक मुश्त राशि प्राप्त कर विपक्षी संख्या 1 की समस्त सम्पत्ति पर भविष्य में उत्पन्न होने वाले अधिकारों का अभित्यजन कर दिया। उक्त भूमि देवकिशन जी की थी, जिन्होंने अपने जीवनकाल में अपने वारिसों के मध्य विभाजन कर दिया एवं

जो हिस्सा विभाजन स्वरूप विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त हुआ है, वह विभाजन के प्रभावशील होते ही विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित स्टेटस के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे में अब पुनः विभाजन किया जाना संभव ही नहीं है। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वेच्छा से विपक्षी संख्या 1 का त्यजन कर पीहर चले जाने के बाद विपक्षी संख्या 1 ने पुष्पलता से ताना विवाह किया और इस विवाह से उसके 2 पुत्र पियुष व उज्जवल हुऐ, जो उसकी सम्पत्ति के विधिक उत्तराधिकारी हैं। कानूनन जब तक विपक्षी संख्या 1 जीवित है, प्रार्थीगण का उसकी सम्पत्ति में कोई स्वत्व व अधिकार उत्पन्न ही नहीं होता है। भूमियां सहदायिकी की सम्पत्ति नहीं है। प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विपक्षी संख्या 2 से 4 की ओर से भी असी आशय के खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–11–2014 को उभयपक्षों की उपस्थिति में मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। पुनः दिनंक 22–03–2016 को यह कहते हुए स्थगन आदेश निरस्त कर दिया कि जो सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कर्ता खानदान के रूप में विक्रय की जा चुकी है उसे सक्षम सिविल न्यायालय में ही चैलेन्ज किया जा सकता है। अतः इस स्टेज पर सुविधा का संतुलन देखते हुए स्थगन देय नहीं है।

दिनांक 22–06–2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर प्रार्थी की उपस्थिति में व विपक्षी की अनुपस्थिति में यह वर्णित करते हुए कि पूर्व सुनवाई दिनांक 22–03–2016 को विस्तृत आदेश स्थगन नहीं देने का पारित किया जा चुका है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–08–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 पहले तो स्वयं उपस्थित हुए, परन्तु बाद में दौराने बहस अनुपस्थित रहे। रेस्पोनउेन्ट संख्या 2 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री नागेन्द्र सिंह उपस्थित हुए, परन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य

सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुत्रियों का मौरूसी सम्पत्ति में अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 से पहले हो गये हों उस पर संशोधन के प्रभाव लागू नहीं होंगे, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने न तो न्यायिक दृष्टान्तों का विवेचन किया एवं न ही उनका अपने निर्णय में हवाला दिया एवं मनमर्जी से अवैधानिक रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर बिना विवेचन किया प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होकर निरस्त योग्य है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो प्रकट आया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पेश शुदा प्लीडिंग्स (प्रार्थना पत्र व जवाब) तथा साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन व दी गयी अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया है, जो आख्यापक एवं पक्षकारान की प्लीडिंग्स अनुसार नहीं है तथा प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तथ्यों पर भी कोई विवेचन नहीं किया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं आदेश के सन्दर्भ में हम हमारे स्तर पर अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों द्वारा पेश की गयी प्लीडिंग्स व साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करना उचित समझते हैं।

जहां तक प्रथम दृष्टया प्रकरण का प्रश्न है, अपीलान्ट विवादित भूमि को सहदायिकी की सम्पत्ति होना बताती हैं तथा उक्त भूमि में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रोशनलाल के जीवनकाल में उसकी पत्नी व पुत्रियों का हक बताती

हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति के जीवनकाल में उसकी पत्नी का हक होने बाबत् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में हुए संशोधन वर्ष 2005 अनुसार सहदायिकी की सम्पत्ति में पुत्रियों को कोपार्सनर होना माना गया है। कोपार्सनरी के लिए यह आवश्यक है कि भूमियां कोपार्सनरी सम्पत्ति हो। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलान्ट संख्या 2 व 3 रोशनलाल की पुत्रियां हैं। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में तथा अपील स्तर पर भी अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमियों को रोशनलाल के पिता देवकिशन के समय की होना बताया गया है। अर्थात भूमियां देवकिशन से पूर्व देवकिशन के पिता के समय से चली आ रही हों, तो ही उक्त भूमियां कोपार्सनरी की सम्पत्ति होती हैं। प्रकरण में भूमियां देवकिशन से पूर्व की होनी की कोई साक्ष्य नहीं है, तद्नुसार देवकिशन की सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्र रोशनलाल का ही हक बनता है। अर्थात देवकिशन की सम्पत्ति में रोशनलाल के जीवनकाल में उसकी पुत्रियों का हक माने जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में इस स्तर पर प्रार्थीगण का यह दायित्व था कि वह भूमियां देवकिशन से पूर्व की होना साबित कराते। प्रकरण में रेकार्डेड खातेदार रोशनलाल के इतर प्रार्थीगण का कब्जा हो ऐसी थी कोई साक्ष्य नहीं है। तद्नुसार इस स्तर पर प्रथम दृष्टया स्वत्व व कब्जा अपीलान्ट/प्रार्थीगण का होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतएवं अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है, तद्नुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानी जा सकती। हालांकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, परन्तु वह विधिक रूप से नहीं किया है। हम अपील स्तर पर विधि अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार खारिज नहीं किया है।

अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2011–12 पेज 563 इस बाबत् है कि प्रारम्भिक डिक्री के बाद यदि भूमियां सहदायिकी की होना प्रमाणित हो तो अंतिम डिक्री के समय भी उन्हें हक दिये जाने चाहिए। यहां ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यह भूमियां सहदायिकी की सम्पत्ति होने की कोई साक्ष्य आवेदन स्तर पर अथवा अपील स्तर पर नहीं है। तद्नुसार

यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। उपरोक्तानुसार हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–06–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर